रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 174] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल, 18, 1985/चैत्र 28, 1907
No. 174] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 18, 1985/CHAITRA 28, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

(कम्पनी विधि बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1985

सा. का. नि. 367(अ):—कम्पनी विधि बोर्ड, अधिसूचना सं. सा. का. नि. 320(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1982 के अनुक्रम में और भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 343(अ) तारीख 24 जून, 1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 294कक की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी यह राय होने पर कि नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट माल के प्रवर्ग के लिए मांग ऐसे माल के उत्पादन या प्रदाय से बहुत अधिक है और यह कि एक मात्र विक्रेता अभिकर्ताओं की सेवाएं, ऐसे माल के वितरण के लिए आवश्यक नहीं होंगी, घोषणा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की और अवधि के लिए भारत में इस प्रकार के माल के विक्रय के लिए किसी कम्पनी द्वारा एकमात्र विक्रेता अभिकर्ताओं की नियुक्ति नहीं की जाएगी ।

सारणी

भेषज (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 में यथापरिभाषित "प्रपुंज भेषज" "भेषज" और "संविन्यास" का प्रत्येक प्रवर्ग, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में नहीं आता है :—

(1) आयुर्वेदिक (जिसके अन्तर्गत सिद्ध भी है) या यूनानी (तिब्ब) प्रणाली में सम्मिलित कोई वास्तविक निर्मिति ;

(2) होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणाली में सम्मिलित कोई निर्मिति ।

[फा. सं. 11/3/85-सी.एल.-11]

आर. एन. बंसल, सदस्य, कम्पनी विधि बोर्ड

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

(Company Law Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 1985

G.S.R. 367(E).—In continuation of Notification No. G.S.R. 320(E), dated the 18th April, 1982 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 294AA of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), read with the Notification of the Government of India, Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Company Affairs) No. G.S.R. 343(E), dated the 24th June, 1975, the Company Law Board, being of the opinion that the demand for the category of goods specified in the Table below is substantially in excess of the production or supply of such goods and that the services of the Sole Selling Agents will not be necessary to create a market for such goods, hereby declares that Sole Selling Agents shall not be appointed by any company for the sale of such goods in India for a further period of three years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

TABLE

Every category of "bulk drug", "drugs" and "formulations" as defined in the Drugs (Prices Control) Order, 1979, not being :—

(i) any bonafide preparation included in the Ayurvedic (including Siddha) or Unani (Tibb) systems of medicine ; or

(ii) any preparation included in the Homoeopathic system of medicine.

[F. No. 11|3|85-CL-XI]

R. N. BANSAL, Member, Company Law Board.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985